

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश,
पर्यावास भवन, पंचम तल, खण्ड(अ) भोपाल

क्रमांक/डी.टी.ए./ESS/17/344

भोपाल, दिनांक 14/08/2017

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय: -ई.एस.एस./पे-रोल/पे-फिक्सेशन मॉड्यूल के एफ.ए.क्यू.(सामान्य जानकारी) के संबंध में।

आपको विदित होगा कि ई.एस.एस./पे-रोल/पे-फिक्सेशन मॉड्यूल सभी कार्यालय में लागू किया गया है यह देखने में आया है कि शासकीय कर्मचारी को मॉड्यूल का उपयोग करने में सामान्य कठिनाई होने पर टी.सी.एस. से हेल्प डेस्क पर संपर्क किया जाता है उक्त छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण हेतु अब मॉड्यूल अन्तर्गत एफ.ए.क्यू.(सामान्य जानकारी) की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है जिससे मॉड्यूल के अन्तर्गत कार्य करने में सुविधा होगी।


2. इस हेतु कर्मचारी सर्वप्रथम आई.एफ.एम.आई.एस. के यू.आर.एल.
<http://ifmisprod.mptreasury.gov.in/> पर लॉगिन कर :-

- एच.आर.एम.आई.एस पर क्लिक करेगा
- एच.आर.एम.आई.एस क्लिक करने के उपरांत दाएँ तरफ तीन विकल्प प्रदर्शित होंगे।
 - यूजर मैनुअल
 - हेण्ड आउट
 - एफ.ए.क्यू

एफ.ए.क्यू पर क्लिक करने पर - कर्मचारी स्वयं सेवा, स्ट्रॉंग रूम, पे-रोल, हायरारकी एवं वेतन निर्धारण मॉड्यूल की सामान्य जानकारी डाउनलोड की जा सकती है।

3. उक्त एफ.ए.क्यू की सुविधा से शासकीय कर्मचारी मॉड्यूल की सामान्य कठिनाई को स्वतः ही निराकृत कर सकेगा।

4. कृपया समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत कराने का कष्ट करें।


आयुक्त


कोष एवं लेखा

पृ०क्रमांक/डी.टी.ए./BSS/17/345

भोपाल, दिनांक 14/8/2017

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।
2. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
3. समस्त आहरण एवं सवितरण अधिकारी, मध्यप्रदेश।


अपर संचालक
कोष एवं लेखा